**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1545**

**13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्वस्थानिक झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास के अंतर्गत प्रगति**

**†1545. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के स्वस्थानिक झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास (आईएमएसआर) घटक के अंतर्गत आज की तिथि तक स्वीकृत और निर्मित कुल मकानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में उक्त घटक के अंतर्गत निर्मित घरों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण के लिए लंबित मकानों का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) उक्त घटक के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि स्लम में रहने वालों सहित पात्र लाभार्थियों को देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण/संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और विभिन्न घटकों के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने परियोजना प्रस्ताव तैयार किए और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किए।

पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर घटक के अंतर्गत मंत्रालय को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

पीएमएवाई-यू के तहत आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कुल 21.37 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है; जिनमें से 18.60 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 10.31 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। स्वीकृत आवासों में 32,568.27 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है, जिसमें से स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर 03.02.2025 तक 23,800.26 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाए, खरीदे और किराये पर लिए जा सकें। इस योजना के दिशा-निर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल **https://pmay-urban.gov.in** के माध्यम से देखे जा सकते हैं।

*****